दिनांक–12.03.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद्) के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है :–
   (1) श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
   (2) श्री दिवेश सेहरा, सचिव
   (3) श्री नीलेश देवड़े, निदेशक, ब्रेडा
   (4) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (5) श्री रघुवंश कुमार सिन्हा, परामर्शी
   (6) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (7) श्री किशोर कुमार, संयुक्त सचिव
   (8) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (9) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (10) श्री प्रताप भानु कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार
   (11) श्री सुभाष कुमार शर्मा, उप सचिव
   (12) श्री आलोक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (13) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (14) श्री राजन कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
   (15) श्री श्रीनिवास, राज्य क्वालिटी मॉनिटर

2. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

I. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन लक्ष्य 11,73,740 है जिसके विरूद्ध अबतक कुल 5,70,531 लाईटों का अधिष्ठापन हो पाया है जबकि जून, 2025 तक सभी लक्षित सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जाना है। इस संबंध सभी उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह DPRO, BPRO तथा एजेंसी प्रतिनिधि साथ करें।

लखीसराय, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, सारण, मधेपुरा एवं मधुबनी जिलों में लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम अधिष्ठापन किया गया है। इन सभी जिलों को अधिष्ठापन में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। लखीसराय के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि बिजली का पोल नहीं रहने के कारण कुछ सोलर लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। पूर्व में निदेशित है कि वैसे स्थिति में उस स्थान पर अवस्थित सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक भवन पर सोलर लाईट का अधिष्ठापन की जा

(113)

सकेगी। कुछ जिलों में अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान कम पाया गया। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जाँच करते हुए विधिवत् भुगतान में तेजी लाया जाय।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं निदेशक, ब्रेडा)

(ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि प्रथम एवं द्वितीय फेज में एजेंसियों के आवंटित किये गये कार्यों के विरूद्ध अधिष्ठापन नहीं किये जाने की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर से करते हुए जिस एजेंसी के द्वारा एकरारनामा की शर्तों के अनुसार सोलर लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही प्रथम एवं द्वितीय चरण में निर्गत कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापित सोलर लाईट लाईट एवं निरीक्षित आपूरित सामग्री को छोड़कर शेष सभी सोलर लाईटों के कार्यादेश को एकरारनामा की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण रदद् करते हुए तृतीय चरण के एजेंसियों में समानुपातिक रूप से वितरित कर दिया जाए।

साथ ही कुछ एजेंसियों के द्वारा कार्य किये जाने के उपरांत भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो जिला पदाधिकारी समीक्षोपरांत शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले एजेंसी का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं निदेशक, ब्रेडा)

(ग) पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि तृतीय चरण हेतु चयनित एजेंसी को ब्रेडा द्वारा Dispatch Instruction नहीं दिये जाने के कारण सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा अविलंब इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलो को निदेशित किया गया कि Dispatch Instruction प्राप्त होने तक सभी जिलों द्वारा पूर्व तैयारी कर ली जाए एवं इसके संबंध में PERT CHART तैयार कर लिया जाए। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि CMS पर Real Time Data प्रदर्शित नहीं हो रहा है। CMS के एजेंसी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसका निराकरण कराना सुनिश्चित करें। निदेशक ब्रेडा अपने स्तर पर इसका अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– निदेशक, ब्रेडा)

(घ) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिष्ठापन के उपरांत सोलर लाईट के कार्यशीलता का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। CMS हेतु चयनित एजेंसी के द्वारा अधिकांश जिलों में अनुश्रवण कोषांग स्थापित नहीं किया गया है। कुछ

जिलों में अनुश्रवण कोषांग अधिष्ठापित करने के उपरांत मानव–बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्यशीलता संबंधी डेटा जिला को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, फलस्वरूप अकार्यशील लाईट निर्धारित समय के अंदर ठीक कराने में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा इसकी स्वयं समीक्षा कर CMS अनुश्रवण कोषांग गठित कर रियल टाईम डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिस एजेंसी के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर अकार्यशील लाईट का मरम्मती नहीं कराया जा रहा है उस एजेंसी पर एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप राशि की कटौती कर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं निदेशक, ब्रेडा)

(ङ) जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के Maintenance हेतु निदेशित किया गया कि Phase- 3 के कार्यों में प्रत्येक 10,000 लाईटों पर एक Service Center संबंधित एजेंसी द्वारा स्थापित कर लिया जाए। साथ ही प्रत्येक लाईट के Pole पर एजेंसी के द्वारा 02 Whatsapp No. निश्चित रूप से Paint करा लिया जाए, ताकि आमजनों के द्वारा खराब लाईटों के संदर्भ में एजेंसी से सुलभ संपर्क किया जा सके। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक लाईट के सोलर पैनल को नियमित रूप से एजेंसी द्वारा साफ कराई जाए। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एजेंसी द्वारा Schedule Maintenance से संबधित साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए तथा तद्नुसार Regular schedule maintenance किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं निदेशक, ब्रेडा)

(च) सोलर स्ट्रीट लाईट इस विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से है, अतः शत–प्रतिशत ससमय अधिष्ठापन एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं निदेशक, ब्रेडा)

II. **15वीं वित्त आयोग योजना की अद्यतन प्रगतिः–** समीक्षा के क्रम में लगातार निदेश देनें के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि के आलोक में जिला परिषदों के द्वारा e-Gramswaraj Yojana पर मात्र 23.38 %, पंचायत समिति 46.35 % एवं ग्राम पंचायत 54.64 %, राशि का ही व्यय किया गया है। जो चिंता का विषय है। जिसमें शत् प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद)

III. षष्ठम राज्य वित्त आयोग e-Panchayat Bihar Portal में योजनान्तर्गत भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगातार निदेश देने के बावजूद भी षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद को प्राप्त राशि का मात्र 10.28%, पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 24.76 %, एवं ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि का मात्र 29.02 %, अभी तक व्यय किया गया है। जिसमें तेजी लाते हुए शत–प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

बैठक में निदेश दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर उसमें 2 Step भुगतान करें ताकि Ongoing कार्यों का verification हो सके एवं पारदर्शिता आ सके।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब कारणों को दूर करने के लिए विभाग निम्न बिन्दुओं पर सुविचारित निदेश दें :–

(क) पंचायती राज विभाग के द्वारा 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त Tied अनुदान (Tied Grant 30 प्रतिशत) से जिला परिषद् Mark-4 चापाकल योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तकनीकी सहयोग से कराने के संबंध में।

(ख) जिला परिषद् द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों यथा हाट, बाजार एवं बस स्टैंड पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था करने के संबंध में।

(ग) जिला परिषद द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अन्य सरकारी ऐजेंसी के माध्यम से जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत कराने के संबंध में।

(घ) पंचायत के कार्यों के लिए जिला परिषद् एवं अन्य स्तर पर अभियंताओं के कमी के मद्देनजर उक्त कार्यों को करने के लिए संबंधित स्तर के LAEO के अभियंता को अपने Jurisdiction के अंदर पंचायती राज के कार्यों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

(अनुपालनः–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी क्रियान्वयन एजेंसी (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO)/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग इत्यादि)/सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)

24.3.25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव, बिहार

(110)

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4466/पं०रा० पटना, दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/25

(दिवेश सेहरा)
सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4466/पं०रा० पटना, दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/25

(दिवेश सेहरा)
सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4466/पं०रा० पटना, दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24/3/25

(दिवेश सेहरा)
सचिव